गहोई वैश्य महासभा का हुआ शपथ ग्रहण समारोह

नवभारत न्यूज

ग्वालियर , 18 दिसंबर। अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा (पंजी) का शपथ ग्रहण कार्यक्रम एक निजी होटल में हुआ। इस आयोजन के मुख्य अतिथि संत कृपाल जी महाराज, महासभा निर्वाचन उपयुक्त पी डी गुप्ता,निवर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश सेठ,निवर्तमान महामंत्री आलोक टिकिरिया एवं सुधीर पहारिया (जिला उपाध्यक्ष भाजपा) को मंचासीन कराया गया था।

मंचासीन अथितियों ने सर्व प्रथम महासभा के निर्माता परमपूज्य नाथूराम रेजा, बल्देव प्रसाद मातेले, डॉ राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त के छाया चित्र पर पुष्प माला पहनाकर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया था।

तदोपरांत अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा के नव निर्वाचित महामंत्री दीपक सावला, कोषाध्यक्ष मोहन कनकने,उपाध्यक्ष मोहन बड़कुल,संतोष कुचिया,मंत्री सुशील कुमार सोनी, रविंद्र बड़ेरिया,संजय बिजपुरिया को पद एवं गोपनीयता की शपथ पी. डी . गुप्ता (निर्वाचन उपयुक्त महासभा), रमेश सेठ (निवर्तमान उपाध्यक्ष महासभा), आलोक टिकरिया (निवर्तमान महामंत्री महासभा) के द्वारा दिलाई गई एवं महासभा के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए नव निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ सामाजिक बंधुओं, मातृ शक्ति एवं नवयुवकों ने अपनी सहभागिता कर कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए अंत में कार्यक्रम का संचालन एस के कंथरिया एवं आभार डॉ सुशील कुमार सोनी ने किया!

अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट-2025' में हितग्रहियों को मिलेगा लाभ

ग्वालियर 18 दिसम्बर . ग्वालियर में 25 दिसंबर को आयोजित होने जा रही 'अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट-2025' की तैयारियों को लेकर उधोग विभाग के आयुक्त श्री दीलिप कुमार ने गुरूवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में अधिकारियों को 'अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट' में एमएसएमई विभाग की तैयारियों को लेकर दिशा - निर्देश दिए। बैठक में उधोग विभाग के आयुक्त दीलिप कुमार ने निर्देश दिए हैं कि विभाग की सफलताओं एवं योजनाओं से जुडी प्रदर्शनी लगाई जाए। जिससे आमजनों को विभाग की जानकारी मिल सके और वह इसका लाभ लें सकें। समिट में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग की 2500 वर्गफीट एरिया में प्रदर्शनी लगाई जाएगी।

दो हजार साधकों ने गायत्री महायज्ञ में दीं आहुतियां, भिंड, मुरैना, शिवपुरी से भी आए हैं साधक

ग्वालियर, 18 दिसंबर। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज के निर्देशन में गायत्री शक्तिपीठ एवं गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में जागृति महिला मंडल द्वारा 19 दिसंबर तक जीवायएमसी ग्राउंड पर 24 कुंडी गायत्री शक्ति संवर्धन यज्ञ आयोजित किया जा रहा है। यज्ञ के प्रथम दिन सर्वप्रथम संगीतमय वैदिक मित्रों के साथ सभी देवी-देवताओं का आह्वान किया गया। यज्ञ का संचालन शांतिकुंज से आईं ब्रह्मवादिनी सविता चाबुकर, टोली नायक सविता सिंह, दिव्या साहू, मीना गोरिया, हेमलता देशमुख एवं द्रौपदी द्वारा किया गया।

आम सूचना

आवेदिका श्रीमती गुड्डी बाई पत्नी श्री भूरे सिंह, निवासी - न्यू कॉलोनी, हरीराम का पुरा, मालनपुर, परगना गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.) के निर्देशानुसार आम व खास को सूचित किया जाता है कि, आवेदिका के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक प्लॉट, क्षेत्रफल 1125 वर्गफिट, सर्वे क्रमांक 272, 273, 288, 291 से 296 ग्राम हरीराम का पुरा, प.ह.न. 34, रा.नि.म. एण्डोरी, परगना गोहद, जिला भिण्ड म. प्र. है। उक्त भवन के पूर्व में संपत्ति वासुदेव, पश्चिम में प्लॉट हाकिम सिंह व तेज सिंह, उत्तर में 10 फीट रोड व दक्षिण में प्लॉट मुन्नालाल है। उक्त संपत्ति आवेदिका ने जर्ये बिक्रय पत्र पंजीयन दस्तावेज क्रमांक 2139, ग्रन्थ क्रमांक 2946 तथा पंजी. दिनांक 22.03.2006 के द्वारा रतिराम सिंह पुत्र श्री वृन्दावन सिंह से क्रय की है। पूर्व स्वामी श्री रतिराम सिंह के अतिरिक्त उक्त सर्वे क्रमांकों की भूमि के अन्य सहस्वामी है। आवेदिकानुसार सहस्वामियों को बिक्रय में कोई आपत्ति नहीं थी। चूंकि आवेदिका ने मेरे पक्षकार वित्तीय संस्था के यहां उक्त संपत्ति पर ऋण हेतु आवेदन किया है जो विचाराधीन है इसलिये यदि किसी सहस्वामी तथा/अथवा भी किसी व्यक्ति, बैंक, संस्था, निकाय आदि को उक्त संपत्ति या उसके किसी भाग के संबंध में किसी प्रकार की कोई या कैसी भी आपत्ति किसी भी माध्यम से हो तो वह मेरे नीचे लिखे नाम व पते पर मय दस्तावेजी प्रमाण के इस नोटिस के प्रकाशन से 7 दिवस के अंदर लिखित रुप में प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदिका का आवेदन स्वीकार योग्य पाये जाने पर ऋणप्रदाता के द्वारा उक्त संपत्ति बंधक कर उस पर उसे ऋण सुविधा प्रदान कर दी जावेगी। उसके उपरांत् की गई कोई भी आपत्ति कतई स्वीकार योग्य न होकर निरर्थक अर्थहीन, त्याग दी गई समझी जाकर शून्य होगी तथा ऋणप्रदाता पर कतई बंधनकारी नहीं होगी तद्नुसार सूचित हो। दिनांक 18.12.2025

प्रेषक- **गजेन्द्र कुमार भार्गव (एडवोकेट)**
कार्या./नि.- हैदरगंज, मामा का बाजार, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.)
कार्या. समय : 7:00 से 9:00 (सुबह एवं शाम)
मो. 9301122311

आम सूचना

आवेदिका श्रीमती गिरीशा पत्नी श्री रामसेवक सिंह, निवासी - ग्राम सुनारी, पंचायत सुहास, जिला भिण्ड (म.प्र.) के निर्देशानुसार आम व खास को सूचित किया जाता है कि, आवेदिका के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक भवन, क्षेत्रफल 1000 वर्गफिट, सर्वे क्रमांक 126/1 ग्राम जडेरूआकलां, नगर निगम वार्ड 21, परगना एवं जिला ग्वालियर (म.प्र.) है। उक्त भवन के पूर्व में भवन गुर्जर साहब, पश्चिम में प्लॉट गुरमाला, उत्तर में 15 फीट रोड व दक्षिण में भवन गुर्जर साहब है। उक्त संपत्ति प्लॉट के रुप में आवेदिका ने जर्ये बिक्रय पत्र पंजीयन दस्तावेज क्रमांक एमपी142592024ए1890241 व पंजीयन दिनांक 10.07.2024 के द्वारा गुड्डी देवी पुत्री नबाव सिंह पत्नी गुलाब सिंह से क्रय की है। पूर्व स्वामिनी श्रीमती गुड्डी के अतिरिक्त उक्त सर्वे क्रमांक की भूमि के अन्य सहस्वामी है। आवेदिकानुसार सहस्वामियों को बिक्रय में कोई आपत्ति नहीं थी। चूंकि आवेदिका ने मेरे पक्षकार वित्तीय संस्था के यहां उक्त संपत्ति पर ऋण हेतु आवेदन किया है जो विचाराधीन है इसलिये यदि किसी सहस्वामी तथा/अथवा भी किसी व्यक्ति, बैंक, संस्था, निकाय आदि को उक्त संपत्ति या उसके किसी भाग के संबंध में किसी प्रकार की कोई या कैसी भी आपत्ति किसी भी माध्यम से हो तो वह मेरे नीचे लिखे नाम व पते पर मय दस्तावेजी प्रमाण के इस नोटिस के प्रकाशन से 7 दिवस के अंदर लिखित रुप में प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदिका का आवेदन स्वीकार योग्य पाये जाने पर ऋणप्रदाता के द्वारा उक्त संपत्ति बंधक कर उस पर उसे ऋण सुविधा प्रदान कर दी जावेगी। उसके उपरांत् की गई कोई भी आपत्ति कतई स्वीकार योग्य न होकर निरर्थक अर्थहीन, त्याग दी गई समझी जाकर शून्य होगी तथा ऋणप्रदाता पर कतई बंधनकारी नहीं होगी तद्नुसार सूचित हो। दिनांक 18.12.2025

प्रेषक- **गजेन्द्र कुमार भार्गव (एडवोकेट)**
कार्या./नि.- हैदरगंज, मामा का बाजार, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.)
कार्या. समय : 7:00 से 9:00 (सुबह एवं शाम)
मो. 9301122311

नाम परिवर्तन सूचना

मुझ प्रार्थी का सही नाम मंगाराम है जो कि मेरे खसरा और आदि दस्तावेजो में दर्ज है। आधार कार्ड में में मेरा घरु नाम गंगाराम दर्ज है। गंगाराम और मंगाराम नाम मुझ एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः इस सूचना प्रकाशन उपरांत मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय / अशासकीय दस्तावेजों और आदि में मेरा नाम गंगाराम (GANGARAM) के स्थान पर मंगाराम (MANGARAM) दर्ज किया जावे व भविष्य में मुझे मंगाराम (MANGARAM) के नाम से जाना पहचाना व पढ़ा लिखा जावे।

पुराना नाम
गंगाराम (GANGARAM) नया नाम
मंगाराम (MANGARAM)
पिता - पातीराम
निवासी - ग्राम मडरौली तहसील, गोहद कतरोल, भिण्ड म.प्र.

नाम परिवर्तन सूचना

मुझ प्रार्थीनी का सही नाम विशाखा है जो कि मेरी मार्कसीट, बैंक का खाता और आदि दस्तावेजो में दर्ज है। आधार कार्ड में मेरा घरु नाम राधिका तिवारी दर्ज है। राधिका तिवारी और विशाखा मुझ एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः इस सूचना प्रकाशन उपरांत मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों और आदि में मेरा नाम राधिका तिवारी (RADHIKA TIWARI) के स्थान पर विशाखा (VISHAKHA) दर्ज किया जावे व भविष्य में मुझे विशाखा (VISHAKHA) के नाम से जाना पहचाना व पढ़ा लिखा जावे।

पुराना नाम
राधिका (RADHIKA TIWARI) नया नाम
विशाखा (VISHAKHA)
पिता - मनोज तिवारी
निवासी-रघुनाथ सिंह का बड़ा घासमंडी टेम्पल, किलागेट, ग्वालियर म.प्र.

नाम परिवर्तन सूचना

मुझ प्रार्थीनी का सही नाम उर्मिला है जो कि खसरा, बैक का खाता और आदि दस्तावेजो में दर्ज है। आधार कार्ड में मेरा घरु नाम उतलाबाई दर्ज है। उर्मिला और उतलाबाई मुझ एक ही महिला के नाम है। अतः इस सूचना प्रकाशन उपरांत मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय / अशासकीय दस्तावेजों और आदि में मेरा नाम उतलाबाई (UTALABAEE) के स्थान पर उर्मिला (URMILA) दर्ज किया जावे व भविष्य में मुझे उर्मिला (URMILA) के नाम से जाना पहचाना व पढ़ा लिखा जावे।

पुराना नाम
उतलाबाई (UTALABAEE) नया नाम
उर्मिला (URMILA)
पिता - श्रीनीवास
निवासी -निवासी 70 बेहटा मुरार, ग्वालियर म.प्र.

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे.क्रं. 19 वार्ड क्रं. 50, भवन क्रं. 3583, स्थानः राय सिंह का बाग पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती हिना अरोरा / श्री हरिशंकर अरोरा के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 1004560118 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 218 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्र विक्रय-पत्र के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र महाराज बाडा औषद्यालय क्षे.क्रं. 19 पर दिनांक 09.12. 2025 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य क्रं. 82/2011/24961/25049/ प्र.क्रं.*3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
श्रीमती सावित्री सोनी / श्री नरेश कुमार
पताः राय सिंह का बाग, वार्ड - 50
विज्ञप्ति जारी दिनांकः 18-12-2025

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 19 वार्ड क्रं. 50, भवन क्रं. 560, स्थानः नारंगी बाई के मंदिर के पास माधोगंज पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती रूकमणी बाई / श्री हरमुखदास के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 1000306692 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 397 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्र मृत्युउपरांत-उत्तराधिकार के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र महाराज बाडा औषद्यालय क्षे.क्रं. 19 पर दिनांक 10.12. 2025 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य क्रं. 82/2011/24965/25053/ प्र.क्रं.*3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
मनोहर लाल वनवारी, अशोक / हरगुन दास सुनीता / श्री रामचन्द्र, नागपाल, गोपाल, खियल
पताः नारंगी बाई के मंदिर के पास माधोगंज, वार्ड - 50
विज्ञप्ति जारी दिनांकः 18-12-2025

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 16 वार्ड क्रं. 35, भवन क्रं. ..., स्थानः आप्टे की पायगा पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती रामस्वरूप सैनी / स्व. श्री वंशीधर सैनी के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 1000312240 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 1622 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड वसियत पत्र क्र A32331956 दिनांक 05.09.2023 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र जीवाजीगंज क्षे.क्रं. 16 पर दिनांक 17.12.2025 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य क्रं. 81/2010/38305/60512/ प्र.क्रं.*3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
दीपक सैनी / स्व. श्री रामस्वरूप सैनी
पताः आप्टे की पायगा, वार्ड - 35
विज्ञप्ति जारी दिनांकः 18-12-2025

ग्वालियर की माधवी शाह बनीं महिला परिषद की प्रांतीय अध्यक्ष

ग्वालियर 18 दिसंबर . अखिल भारतवर्षीय जैन महिला परिषद, ग्वालियर शाखा की संस्थापक अध्यक्ष श्रीमती माधवी शाह को राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रेश जैन, राष्ट्रीय सचिव अनिल जैन एवं केंद्रीय अध्यक्ष महिला परिषद श्रीमती निर्मला जैन द्वारा मध्य प्रदेश प्रांत के अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर मनोनीत किया गया है। श्रीमती माधवी शाह ने यह मुकाम अपनी कड़ी मेहनत, लगन, कर्तव्यनिष्ठा एवं कर्मठता के बल पर प्राप्त किया है। उनकी इस उपलब्धि से ग्वालियर महिला परिषद में उत्साह एवं उल्लास का वातावरण है। परिषद की सभी सदस्यों ने उन्हें अनेकानेक बधाइयाँ देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य एवं निरंतर प्रगति की कामना की है। मध्य प्रदेश प्रांत के अंतर्गत 16 संभागों में महिला परिषद की कुल 175 शाखाएँ सक्रिय हैं, जिनसे लगभग 6000 सदस्य जुड़ी हुई हैं। अब इन सभी का नेतृत्व माधवी शाह प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में करेंगी। परिषद को पूर्ण विश्वास है कि वे अपनी कर्तव्यनिष्ठा, सेवा भावना एवं दूरदर्शिता से इस वटवृक्ष को और अधिक सशक्त एवं विशाल रूप प्रदान करेंगी तथा केंद्र व राष्ट्र स्तर पर महिला परिषद को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाएँगी।

पूर्व विधायक मंडल ने पेंशन वृद्धि को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा

ग्वालियर 18 दिसंबर . म.प्र. की 16वीं विधानसभा के विशेष सत्र और विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा आयोजित भोज के बाद म.प्र. के पूर्व विधायक मंडल के उपाध्यक्ष भगवानसिंह यादव के नेतृत्व में पूर्व विधायकों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं म.प्र. विधानसभा के अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर से एक साथ मिलकर वर्षो से लम्बित पूर्व विधायकों की पेंशन आदि की वृद्धि करने की मांग तथा ग्वालियर चम्बल सम्भाग के हजारों मरीजों की बायपास इलाज सुविधा हेतु ग्वालियर में कार्डियोथोरेसि विभाग स्थापित करने हेतु अनुरोध ज्ञापन प्रस्तुत किया। यादव ने बताया कि वर्षों से लम्बित दोनों मांगों के बारे में केबीनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिन्धिया, ग्वालियर चम्बल संभाग के पूर्व एवं वर्तमान सांसदों, राज्यसभा सदस्य एवं वर्तमान एवं पूर्व विधायकों आदि द्वारा मुख्यमंत्री से भी अनुरोध किया गया है, परन्तु उक्त मांगों के बारे में शासन ने कोई निर्णय नहीं लिया है। ज्ञापन स्वीकार कर मुख्यमंत्री ने मांगों के सम्बन्ध में शीघ्र उचित निर्णय लिये जाने का आश्वासन दिया है।

जमीन के लेन-देन पर हुआ विवाद, कर दी फायरिंग

ग्वालियर . विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के मुखर्जी पेट्रोल पंप के पास पुराने विवाद को लेकर हवाई फायरिंग कर दी गई। विवाद किसी जमीन को लेकर चल रहा है और बीती रात दोनों पक्षों का आमना-सामना हो गया तो फायरिंग हो गई। गोलीबारी की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हवाई फायर करने वाले को थाने ले आई। फायरिंग करने वाला पेट्रोल पंप संचालक बताया गया है। भूपेन्द्र सिंह गुर्जर उर्फ भूरा पुत्र इंद्रप्रकाश सिंह निवासी अभिनंदन वाटिका के पीछे पिंटो पार्क गोला का मंदिर अपने दोस्त दलवीर सिंह के साथ न्यू कलेक्ट्रेट के पास से निकल रहा था। तभी उसका सामना प्रमोद शर्मा से हो गया। प्रमोद शर्मा और भूपेन्द्र गुर्जर के बीच किसी जमीन को लेकर विवाद चला आ रहा है। आमना-सामना हुआ तो दोनों पक्षों के बीच विवाद होने लगा।

आम सूचना

श्री प्रदीप राजपूत एवं श्री अशोक कुमार पुत्रगण श्री नवाब सिंह को स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड स्थित ग्राम जोधपुरा, तहसील एवं जिला ग्वालियर (म.प्र.) है जो नगर निगम ग्वालियर वार्ड क्र.09 में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र.45, 47, 50 एवं 51 ग्राम जोधपुरा का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है-पूर्व में-भूखण्ड श्री महेश, पश्चिम में-रास्ता, उत्तर में-भूखण्ड श्री दशरथ एवं दक्षिण में-भूखण्ड श्री मुरारी धाकड़ है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री मनोज यादव एवं श्री मुकेश यादव पुत्रगण स्व. श्री भारत सिंह यादव एवं अन्य के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री मनोज यादव एवं श्री मुकेश यादव द्वारा अपने भाग की सम्पत्ति के संबंध में श्री प्रदीप सोनी पुत्र श्री प्रहलाद दास सोनी के हित में रजिस्टर्ड मुख्त्यारआम विलेख क्र.2649 दिनांक 28.11.2011 को सम्पादित किया गया। थी। श्री मनोज यादव एवं श्री मुकेश यादव जर्ये मुख्त्यारआम श्री प्रदीप सोनी द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री हरि सिंह राजपूत पुत्र श्री रूप सिंह राजपूत को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र 1251 दिनांक 24.02.2012 से विक्रय की गई। श्री हरि सिंह राजपूत द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री सुनील सिंह राजपूत पुत्र श्री धीर सिंह राजपूत को ई-रजिस्टर्न विक्रय गिलेख क्र. एमपी 1426020190ए 1661845 दिनांक 24.03.2018 से विक्रय की गई। श्री सुनील सिंह राजपूत द्वारा प्रका राम्पति श्री बृजेश सिंह राजपूत पुत्र श्री केशव सिंह राजपूत को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र. एमपी 142602019ए1852079 दिनांक 18.12.2019 से विक्रय की गई। श्री बृजेश सिंह राजपूत द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री प्रदीप राजपूत एवं श्री अशोक कुमार पुत्रगण श्री नवाब सिंह को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र. एमपी 142602021ए1223342 दिनांक 04.03.2021 से विक्रय की गई। श्री प्रदीप राजपूत एवं श्री अशोक कुमार द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान वास्तु हाउसिंग फायनेंस कॉर्पोरेशन लि. ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय को एवं उक्त सर्वे क्रमांकों के अन्य सहस्वामियों को उक्त राम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्न प्रकार के हित-निहित होने पर अथवा कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 3 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमान बृजेश सिंह रावत पुत्र श्री शिव सिंह रावत के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की एक अचल संपत्ति जिसका पटवारी हल्का नंबर 58, ग्राम बुजुर्ग एवं तहसील डबरा व जिला ग्वालियर के सर्वे क्र. 323/4 Min2, 324 Min2 की होकर जिसकी चतुर्सीमाः- पूर्व में- 15 फीट रास्ता, पश्चिम में- दीगर की भूमि, उत्तर में- बाढई का प्लॉट, दक्षिण में- सुननू बाथम का मकान व कुल क्षेत्रफल 800 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति पूर्व में श्रीमान विद्याभूषण शर्मा पुत्र श्री होराम के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की थी जिसका उल्लेख राजस्व विभाग के दस्तावेजों में विधिवत दर्ज है। तत्पश्चात उक्त संपत्ति के अंश भाग में से श्रीमान विद्याभूषण शर्मा पुत्र श्री होराम द्वारा श्रीमान चंद्रप्रकाश यादव पुत्र श्री फतेहबहादुर यादव को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विलेख सरल क्रमांक 2904 व दिनांक 01.11.2004 से विक्रय की गई। जैसा कि मेरे पक्षकार द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त संपत्ति के मूल दस्तावेज गुम हो गए हैं, जिस किसी व्यक्ति को मिले कृपया नीचे दिए गए पते पर सूचित करें। तदानुसार जिसमें श्रीमती सरोजनी पत्नी एवं एश्वर्या, जाग्रति, स्मृति पुत्रियाँ व पुत्र श्रीमान शिवम के नाम श्री चंद्रप्रकाश के देहांत पश्चात राजस्व विभाग में दर्ज हुए। तदुपरांत श्रीमती सरोजनी पत्नी स्व. श्री चंद्रप्रकाश एवं एश्वर्या, जाग्रति, स्मृति पुत्रियाँ स्व. श्री चंद्रप्रकाश व श्रीमान शिवम पुत्र स्व. श्री चंद्रप्रकाश द्वारा श्रीमान बृजेश सिंह रावत पुत्र श्री शिव सिंह रावत को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विलेख सरल क्र. 4093 एवं ग्रंथ क्र. 7161 व दिनांक 30.03.2015 से विक्रय की गई। अतः उक्त संपत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान ग्वालियर के समक्ष उक्त संपत्ति पर ऋण प्राप्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत होकर बंधक किए जाना प्रस्तावित है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय, बैंक या किसी अन्य उत्तराधिकारी का किसी पूर्ण या अंश भाग पर या किसी भी संस्था की कोई राशि अवशेष हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 03 (तीन दिवस) की अवधि में विधिवत अपने दावे के समर्थन में समस्त प्रप्त्र सहित मेरे कार्यालय में संपर्क कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा वर्णित अवधि के अवसान उपरांत समस्त आपत्तियां इस सूचना प्रपत्र के समक्ष व्यर्थ, शून्य व प्रभावहीन होगी और उक्त संपत्ति पर प्रदत्त ऋण हेतु बंधककर्ता वित्तीय संस्थान का अधिकार सर्वोपरि होगा। कृपया सूचित हो। दिनांक 18.12.2025

प्रेषक-**विशाल अग्रवाल** (एडवोकेट)
कार्यालय -"मैसर्स श्री हीरानन्द लीगल कंसल्टेंट"
ग्राउंड फ्लोर, यादव मार्केट, जीवाजी यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 के पास, सिटी सेंटर ग्वालियर मो.9826820987

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती कमलेश पत्नी श्री बलवीर की एक अचल संपत्ति जिसका पटवारी हल्का क्र. 30, ग्राम मुंगावली व तहसील एवं जिला मुरैना के सर्वे क्र. 1204 की होकर जिसकी चतुर्सीमाः- पूर्व में- प्लॉट क्रेता, पश्चिम में- आम रास्ता 10 फ्रीट चौड़ा, उत्तर में- आम रास्ता 15 फ्रीट चौड़ा, दक्षिण में- आम रास्ता 10 फ्रीट चौड़ा व कुल क्षेत्रफल 1000 वर्ग फुट है उक्त संपत्ति पूर्व में श्रीमान मवसिया पुत्र श्री भोला के स्वत्व, स्वामित्व आधिपत्य की थी जिसका उल्लेख राजस्व विभाग के दस्तावेजों में विधिवत दर्ज है जिसमें श्रीमान हाकिम, हरिचरण, एवं बलवीर के नाम श्रीमान मवसिया की देहांत पश्चात् कानूनी वारिस के रूप में राजस्व विभाग में दर्ज हुए। तत्पश्चात केवल श्रीमान बलवीर पुत्र श्री मवसिया द्वारा उक्त संपत्ति के अंश भग में से श्रीमती कमलेश पत्नी श्री बलवीर को ई-रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र विलेख दस्तावेज क्र. MP27IGR 17912025A100486909 व दिनांक 18.06.2025 से विक्रय की गई। तदुपरांत उक्त संपत्ति की चतुर्थ दिशाओं में भूलवश त्रुटि होने के कारण श्रीमान बलवीर पुत्र श्री मवसिया द्वारा श्रीमती कमलेश पत्नी श्री बलवीर को ई-रजिस्टर्ड संशोधन-पत्र विलेख दस्तावेज क्र. MP27IGR17912025A101021883 व दिनांक 12.11.2025 से सुधार किया गया। अतः मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान ग्वालियर के समक्ष उक्त संपत्ति पर ऋण प्राप्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत होकर बंधक किए जाना प्रस्तावित है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय, बैंक या किसी अन्य उत्तराधिकारी का किसी पूर्ण या अंश भाग पर या किसी भी संस्था की कोई राशि अवशेष हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 07 (सात दिवस) की अवधि में विधिवत अपने दावे के समर्थन में समस्त प्रप्त्र सहित मेरे कार्यालय में संपर्क कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा वर्णित अवधि के अवसान उपरांत समस्त आपत्तियां इस सूचना प्रपत्र के समक्ष व्यर्थ, शून्य व प्रभावहीन होगी और उक्त संपत्ति पर प्रदत्त ऋण हेतु बंधककर्ता वित्तीय संस्थान का अधिकार सर्वोपरि होगा। कृपया सूचित हो। इति दिनांक 18.12.2025

प्रेषक-**विशाल अग्रवाल** (एडवोकेट)
कार्यालय -"मैसर्स श्री हीरानन्द लीगल कंसल्टेंट"
ग्राउंड फ्लोर, यादव मार्केट, जीवाजी यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 के पास, सिटी सेंटर ग्वालियर मो.9826820987

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमान रज्जन सिंह पुत्र श्री फुंदीलाल श्रीवास ने एक अचल संपत्ति जिसका प्लॉट क्र. 36, बालाजी नगर कॉलोनी, वार्ड नंबर 62, ग्राम बड़ोखर तहसील मुरैना नगर जिला मुरैना के सर्वे क्र. 215/8/2 की होकर जिसकी चतुर्सीमाः- पूर्व में- प्लाट क्र. 35, पश्चिम में- प्लाट क्र. 37, उत्तर में- रास्ता 20 फीट चौड़ा, दक्षिण में- प्लाट क्र. 19 व कुल क्षेत्रफल 800 वर्गफुट है को क्रय करने का लिखतम विक्रय अनुबंध-पत्र संपत्ति मालिक श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री ब्रजकिशोर के साथ संपादित किया है। उक्त संपत्ति पूर्व में श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री गिर्राज व श्रीमान रविंद्रकुमार, सुरेशकुमार, रामनरेश पुत्रगण श्री श्यामसुंदर एवं श्रीमती सुशीला पत्नी श्री वासुदेव व श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री ब्रजकिशोर के स्वत्व, स्वामित्व व संयुक्त आधिपत्य की थी जिसका उल्लेख राजस्व विभाग के दस्तावेजों में विधिवत दर्ज है। तदानुसार उक्त संपत्ति के अंश भाग में से केवल श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री ब्रजकिशोर द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विलेख शीघ्र ही क्रेता के पक्ष में संपादित किया जाने वाला है अतः उक्त संपत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान ग्वालियर के समक्ष उक्त संपत्ति पर ऋण प्राप्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत होकर बंधक किए जाना प्रस्तावित है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय, बैंक या किसी अन्य उत्ताधिकारी का किसी पूर्ण या अंश भाग पर या किसी भी संस्था की कोई राशि अवशेष हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 07 (सात दिवस) की अवधि में विधिवत अपने दावे के समर्थन में समस्त प्रप्त्र सहित मेरे कार्यालय में संपर्क कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा वर्णित अवधि के अवसान उपरांत समस्त आपत्तियां इस सूचना प्रपत्र के समक्ष व्यर्थ, शून्य व प्रभावहीन होगी और उक्त संपत्ति पर प्रदत्त ऋण हेतु बंधककर्ता वित्तीय संस्थान का अधिकार सर्वोपरि होगा। कृपया सूचित हो। इति दिनांक 18.12.2025

प्रेषक-**विशाल अग्रवाल** (एडवोकेट)
कार्यालय -"मैसर्स श्री हीरानन्द लीगल कंसल्टेंट"
ग्राउंड फ्लोर, यादव मार्केट, जीवाजी यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 के पास, सिटी सेंटर ग्वालियर मो.9826820987

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 17 वार्ड क्रं. 38, भवन क्रं. ..., स्थानः बेलदारपुरा पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती हेमवती कुशवाह / श्री दीवान सिंह कुशवाह पुत्री श्रीहर गोविन्द कुशवाह, मोनू कुशवाह / श्रीहर गोविन्द कुशवाह के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 9000083445 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 525 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्रं. 01012122092025004293 दिनांक 22. 09. 2025 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र ढोली बुआ का पुल क्षे.क्रं. 17 पर दिनांक 02.12.2025 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य क्रं. 71/2010/58254/58446/ प्र.क्रं.*3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
श्रीमती मुन्नी देवी / श्री राधा किशन
पताः बेलदारपुरा, वार्ड - 38
विज्ञप्ति जारी दिनांकः 18-12-2025

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 18 वार्ड क्रं. 49, भवन क्रं. ..., स्थानः तारागंज बंजारा शाह का नाला पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती शकीना बानो / श्री हबीब अब्दुले जब्बार के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 2000018351 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 600 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्रं. A1/3035 दिनांक 22.12.2012 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र गोरखी पानी की टंकी क्षे.क्रं. 18 पर दिनांक 16.12.2025 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य क्रं. 83/2010/18374/40674/ प्र.क्रं. *3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
अनवर राईन / श्री रफीक राईन
पताः तारागंज बंजारा शाह का नाला, वार्ड - 49
विज्ञप्ति जारी दिनांकः 18-12-2025

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 24 वार्ड क्रं. 65, भवन क्रं. ..., स्थानः गिरवाई पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती जयराम ठाकुर / श्री सुखुमल, श्रीमती अनुभा ठाकुर / श्री जयराम ठाकुर के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 2000106237 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 1453 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्रं. 0101210611 2025006899 दिनांक 06.11.2025 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र अजयपुर क्षे.क्रं. 24 पर दिनांक 16. 12.2025 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य क्रं. 89/2015/16734/16841/ प्र.क्रं.*3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
श्री हर्षा भगतानी / श्री दिलीप भगतानी
पताः गिरवाई, वार्ड - 65
विज्ञप्ति जारी दिनांकः 18-12-2025

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 03 वार्ड क्रमांक 07 स्थान सती विहार कॉलोनी में स्थित है जो कि गुरदीप सिंह/कुपाल सिंह गिल के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 9000095471 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 920 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक एमपी 142602022ए1336140 दिनांक 30/03/2022 द्वारा क्रय/ उत्तराधिकार से प्राप्त/वसीयतनामा से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्मति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 18-12-2025
आवेदक का नाम/पता
मनोज सिंह/वीरेन्द्र सिंह, श्रीमती सीमा/ विक्रम सिंह
पता : सती बिहार कॉलोनी, ग्वालियर म.प्र.
मों -9755314356

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 01 वार्ड क्रमांक 04 स्थान सेक्टर-4,स्टोर एरिया में स्थित है जो कि दिलीप सिंह कुशवाह/राधे सिंह के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 9000106894 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 258 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक एमपी 21/जीआर17402025ए100939556 दिनांक 16/10/2025 द्वारा क्रय/ उत्तराधिकार से प्राप्त/वसीयतनामा से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्मति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 18-12-2025
आवेदक का नाम/पता
धन सिंह/मुन्ना लाल
पता : सेक्टर-4,स्टोर एरिया, ग्वालियर म.प्र.
मों -9425122660

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 01 वार्ड क्रमांक 04 स्थान विनय नगर,स्टोर एरिया में स्थित है जो कि ग्वालियर,डव्लपमेंट ऑर्थोटी,सम्पदा अधिकारी के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 9000105379 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 258 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक ए1/992 दिनांक 14/07/2011 द्वारा क्रय/ उत्तराधिकार से प्राप्त/वसीयतनामा से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्मति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 18-12-2025
आवेदक का नाम/पता
राहुल कुशवाह/दिलीप कुशवाह
पता : सेक्टर-4,स्टोर एरिया, ग्वालियर म.प्र.
मों -9425122660

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 03 वार्ड क्रमांक 08 स्थान चौडे के हनुमान नगर में स्थित है जो कि अनुराग सिंह कुशवाह/दिनेश सिंह कुशवाह के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक ... पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 945 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक एमपी 21/जीआर17402025ए100098934 दिनांक 17/02/2025 द्वारा क्रय/ उत्तराधिकार से प्राप्त/वसीयतनामा से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्मति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र लूटपुरा पर दिनांक 18/12/2025 को किया गया है. जिसका आवेदन कार्य क्रमांक 75/2011/54674/54604 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 18-12-2025
आवेदक का नाम/पता
श्रीमती शीला देवी यादव/सुरेन्द्र सिंह यादव
पता : चौडे के हनुमान नगर, ग्वालियर म.प्र.
मों - 7828866662

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 03 वार्ड क्रमांक 08 स्थान चौडे के हनुमान नगर में स्थित है जो कि राकेश, राजकुमार शर्मा/ओमप्रकाश शर्मा के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 1000238939 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 555 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक एमपी 142602023ए12472645 दिनांक 18/10/2023 द्वारा क्रय/ उत्तराधिकार से प्राप्त/वसीयतनामा से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्मति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र लूटपुरा पर दिनांक 18/12/2025 को किया गया है. जिसका आवेदन कार्य क्रमांक 75/2011/54675/54605 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 18-12-2025
आवेदक का नाम/पता
श्याम सुन्दर शर्मा/शिवरतन शर्मा
पता : चौडे के हनुमान नगर, ग्वालियर म.प्र.
मों - 9179195447

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 03 वार्ड क्रमांक 08 स्थान चौडे के हनुमान नगर,पीताम्बरा कॉलोनी में स्थित है जो कि अनीता गुप्ता/हरिओम गुप्ता के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक ... पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक एमपी 142602018ए1769412 दिनांक 24/11/2018 द्वारा क्रय/ उत्तराधिकार से प्राप्त/वसीयतनामा से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्मति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र लूटपुरा पर दिनांक 18/12/2025 को किया गया है. जिसका आवेदन कार्य क्रमांक 75/2011/54676/54606 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 18-12-2025
आवेदक का नाम/पता
श्रीमती ऊषा देवी/राधेश्याम प्रजापति
पता : चौडे के हनुमान नगर, पीताम्बरा कॉलोनी ग्वालियर म.प्र.
मों -8718059048

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 07 वार्ड क्रमांक 03 स्थान फोर्ट व्यू कॉलोनी, अऊखाना कला में स्थित है जो कि प्रवीण माझवार/लालचंद माझवार के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 1000233996 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 1140 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक एमपी 21/जीआर17402025ए101122014 दिनांक 09/12/2025 द्वारा क्रय/ उत्तराधिकार से प्राप्त/वसीयतनामा से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्मति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र रेनवसेरा पर दिनांक 18/12/2025 को किया गया है. जिसका आवेदन कार्य क्रमांक 64/2010/68010/68132 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 18-12-2025
आवेदक का नाम/पता
रजनी श्रीवास्तव/शिवनारायण श्रीवास्तव
पता : विनय नगर से-2, ग्वालियर म.प्र.

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 03 वार्ड क्रमांक 15 स्थान संजय नगर में स्थित है जो कि अशोक चौधरी/रामदयाल चौधरी के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 1000222800 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 1079 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक ए1/18021/01 से 07 दिनांक 16/04/2007 द्वारा क्रय/ उत्तराधिकार से प्राप्त/वसीयतनामा से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्मति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र लूटपुरा पर दिनांक 18/12/2025 को किया गया है. जिसका आवेदन कार्य क्रमांक 75/2011/54671/54601 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 18-12-2025
आवेदक का नाम/पता
उमा मिश्रा/ आनंद मिश्रा
पता :संजय नगर, ग्वालियर म.प्र.
मों -9826341162

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 03 वार्ड क्रमांक 08 स्थान न्यू ग्रेसिम विहार में स्थित है जो कि धर्मवीर सिंह/ नारायण सिंह के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 1004455757 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 1620 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक ए1/23147/29 से 34 दिनांक 15/04/2011 द्वारा क्रय/ उत्तराधिकार से प्राप्त/वसीयतनामा से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्मति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र लूटपुरा पर दिनांक 18/12/2025 को किया गया है. जिसका आवेदन कार्य क्रमांक 75/2011/54673/54603 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 18-12-2025
आवेदक का नाम/पता
राजेश्वरी राजपूत/सुरेश सिंह राजपूत
पता : न्यू ग्रेसिम विहार, ग्वालियर म.प्र.
मों -7869527172

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 03 वार्ड क्रमांक 08 स्थान पीताम्बरा कॉलोनी में स्थित है जो कि अमर सिंह राठौर/रामस्वरूप राठौर के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 1004427359 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 1500 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक ए1/17254/7 दिनांक 12/09/2006 द्वारा क्रय/ उत्तराधिकार से प्राप्त/वसीयतनामा से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्मति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र लूटपुरा पर दिनांक 18/12/2025 को किया गया है. जिसका आवेदन कार्य क्रमांक 75/2011/54677/54607 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 18-12-2025
आवेदक का नाम/पता
सुरेन्द्र सिंह, रामकरण, रामसहाय/नारायण सिंह
पता : पीताम्बरा कॉलोनी, ग्वालियर म.प्र.
मों -8462822591

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 02 वार्ड क्रमांक 06 स्थान 1482,सत्यनारायण मौहल्ला में स्थित है जो कि सलीम (काबिज)खाँ/मुन्ना खाँ के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 1000092628 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 694 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मृत्यु उपरांत दिनांक... द्वारा क्रय/ उत्तराधिकार से प्राप्त/वसीयतनामा से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्मति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र नौमहला पर दिनांक 18/12/2025 को किया गया है. जिसका आवेदन कार्य क्रमांक 61/2010/57738/57948 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 18-12-2025
आवेदक का नाम/पता
इस्लाम खान/सलीम खान
पता : 1482 सत्यनारायण मौहल्ला, ग्वालियर म.प्र.
मों -7709526620

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 03 वार्ड क्रमांक 07 स्थान प्लॉट नं- 4, अचलेश्वर इन्कलेव कॉलोनी, सागरताल में स्थित है जो कि वत्स कॉलोनाईजर्स एण्ड डवलपर्स साया आर्केड पडाव ग्वा./सुनील, अभिषेक, एम. हुसेन, अच्युत, भगवानदास के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 9000099329 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक एमपी 142602022ए1004251 दिनांक 04/01/2022 द्वारा क्रय/ उत्तराधिकार से प्राप्त/वसीयतनामा से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्मति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 18-12-2025
आवेदक का नाम/पता
श्रीमती आशा धाकड़/ज्ञान सिंह धाकड़
पता : प्लॉट नं- 4, अचलेश्वर इन्कलेव कॉलोनी, सागरताल, ग्वालियर म.प्र.
मों -9770681535